

STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

IN THE MATTER OF:

ATTN:

Higher Authority Decision No.

दावेदार

नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह कारण समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के सामने (दावेदार के) (नियोक्ता) के द्वारा अपील लेबल संख्या-----के तहत अपील निर्णायक द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई अपील पर विचार करने के लिए आया था। साक्ष्यों की सुनवाई अपील निर्णायक के समक्ष-----को कर ली गई है। समय पर प्रस्तुत रिकॉर्ड साक्ष्यों और किसी भी लिखित या संक्षेप तर्क की की संपूर्णता में समीक्षा की गई है।

रोजगार सुरक्षा कानून की आवश्यकता है

कि विभाग इस तरह से सुनवाई

आयोजित करे कि पार्टियों के बहुत जरूरी अधिकारों को सुरक्षित रखता है। N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(c) और (f); 04 N.C. Admin. Code 24C .0209 देखें। दूसरे शब्दों में सभी पार्टियों को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और मूल रूप से उचित प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। न्यूनतम प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के लिए सभी पक्षों को सुने जाने का अवसर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। पक्ष सुने जाने के अधिकार का आनंद लें, इसके लिए उन्हें नोटिस दी जानी चाहिए। स्थाई कारण प्रक्रिया के लिए सभी पक्षों पर कानून के उचित और समान आवेदन करने की आवश्यकता होती है। जब दावेदार को काम से छुट्टी दे दी जाती है, तो नियोक्ता पर यह साबित करने का भार होता है, दावेदार का निष्काशन किसी ऐसे कारण के लिए था, जो दावेदार को बेरोजगारी बीमा के लिए अयोग्य ठहराएगा। Guilford Cty. बनाम Holmes, 102 N.C. App. 103, 401 S.E.2d 135 (1991); Intercraft Indus. Corp. बनाम Morrison, 305 N.C. 373, 376, 289 S.E.2d 357, 359 (1982); Umstead बनाम Emp't Sec. Comm'n, 75 N.C.App. 538, 331 S.E.2d 218, प्रमाणपत्र अस्वीकृत, 314 N.C. 67, 336 S.E.2d 405 (1985)। नियोक्ता के अनुसार दावेदार को-----के लिए नौकरी से छुट्टी दी गई है। नियोक्ता यह दावा भी करता है कि दावेदार को नौकरी से हटाए जाने के कारण का

Higher Authority Decision No.

पांच पृष्ठ म से दो

समथरन करने वाला साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग में सुरक्षित है या था। हालांकि नियोकता ने इसे *अपील निणारयक* और दावेदार को सुनवाई के लिए जमा नहीं किया था।

डिवीजन ने सभी पाटिरियों को सभी गवाह, दसतावेज, रिकार्डिंग और अनय सबूतों को सुनवाई के दौरान परसतुत करने के दायितव के लिए नोटिस पर रखा। परतयेक पक्ष को *अपील और सुनवाई: सतर 1* एक परारंभिक निधाररण पर अपील शीषरक वाली एक नीली पुसितका निणारयक लेबल संख्या द्वारा निधाररित की एक परति के साथ-----पर भेजी गयी। पुसितका के पैनल 5 और 6 पर निमन भाषा थी:

सुनवाई के लिए तैयार होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ?

सुनवाई नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मामले के बारे में क्या कहा गया है, यह जानने के लिए नोटिस के साथ आए सभी दसतावेजों को ध्यान से पढ़ें।इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि सुनवाई में कौन से गवाहों को गवाही देनी चाहिए।सभी दसतावेज, रिकार्डिंग और सबूतों को, जो आपके मामले का समथरन करते हैं, एकतर करें। यदि सुनवाई फोन पर आयोजित की जाएगी,

तो आपको सुनवाई की तारीख से पहले अपील निणारयक और सभी पक्षों के लिए अपने सबूत की परतियां परदान करनी होंगी। वयिकतगत सुनवाई के लिए सभी पक्षों और अपील निणारयक को देने के लिए पर्यार्पत परतियां बनाए। अगर आप अपील निणारयक और अनय पक्षों को परतियां परदान नहीं करते, तो अपील निणारयक मामले का निणारय करने के लिए उस सबूत को संज्ञान में नहीं ले पाएंगे। अपने गवाहों को चुनें और उन्हें सुनवाई के लिए उपलबध कराएं। परतयक्षदर्शी और परथम-हसत गवाही । परथम-हसत गवाही में वे गवाह शामिल होते हैं, जिनहोंने गड़बड़ी को देखा, सुना या महसूस किया है।यदि कथित अपराध की कोई रिकार्डिंग है, तो रिकार्डिंग सबसे अच्छा सबूत है, गवाहों ने रिकार्डिंग में क्या देखा और सुना, उसके विषय में गवाह की गवाही को

साक्ष्य के आधार पर पेश नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा आरोप है जिसमें कोई पक्ष ऐसे दसतावेज पर हसताक्षर करता है, या लिखित रूप में कुछ जमा करता है, जिसे आप मामले के लिए परासंगिक मानते हैं, तो आप इसे साक्ष्य के तौर पर परसतुत कर सकते हैं, परंतु आपको दसतावेज की एक परति अपील निणारयक और अनय पक्षों को परदान करनी होंगी। टेलीफोनिक सुनवाई के लिए अपील निणारयक से संपकर करके अपने गवाहों के नाम और फोन नंबर उपलबध

Higher Authority Decision No.

पांच पृष्ठ म से तीन

करवाएं या अपनी नोटिस के साथ आई टेलीफोनिक सुनवाई परशनावली को भरकर वापस भेजें।

04 N.C. Admin. Code 24C .0209 देखें।

सुनवाई की एक नोटिस, Division Exhibit No.-----, सभी पक्षों को-----पर सुनवाई की तिथि से () दिनों पहले को भेज दी गई थी। अनय जानकारी के अलावा सुनवाई की नोटिस यह भी कहती है:

HOW TO GIVE EVIDENCE : शपथबद्ध गवाही आवश्यक है। यदि आप गवाहों की गवाही दिलवाना चाहते हैं, तो उन्हें सुनवाई में ऐसा करना होगा। यदि आपके पास गवाह दसतावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग या अनय साक्ष्य हैं, जिन पर आप सुनवाई अधिकारी द्वारा विचार करवाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें सुनवाई अधिकारी और परतयेक पक्ष के पास भेजना या पहुंचाना होगा। साक्ष्य सुनवाई के पहले पहुंच जाना चाहिए।

[Legal Assistant: यदि इस फाइल को दसतावेज में दिखाया गया है, केवल तभी जोड़ें। यह अधिकतर फाइलों में है, परंतु सभी में नहीं।

नोटिस के साथ सुनवाई में दिखाए जाने वाले दसतावेज थे। इनमें से एक अनय दसतावेजों के साथ परदर्शन सं-----“Important Information for Your Appeals Hearing,” शीर्षक वाला दसतावेज भी था। इस दसतावेज में कहा गया है:

यदि आपने दावे की इस परकिरया में पहले दसतावेज जमा किए थे, जो इस पैकेट में शामिल नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं कि उन्हें अपील के हिस्से के रूप में माना जाए, तो जैसा कि सुनवाई की नोटिस में निर्देश दिए गए हैं, आपको उन्हें फिर से जमा करना होगा।

सुनवाई की नोटिस पक्षों को यह भी सूचित करती है कि वे सुनवाई जारी रखने का अनुरोध कर सकते हैं, तथा ऐसा करने की परकिरया के बारे में सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं। अचछा कारण दिखाने पर और सुनवाई से पहले, नियोक्ता अपने गवाहों को सुरक्षित करने के लिए, या उससे साक्ष्य परापत करने के लिए या उन्हें जमा करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकता था। “अचछा कारण” यथोचित परिशरम के अभ्यास में कानूनी रूप से आवश्यक कायर को करने में विफल रहने के लिए पर्यार्प्त रूप से उचित कानूनी कारण होना चाहिए। N.C. Gen. Stat. §)15-96d (1) और 04N.C. Admin. Code 24A . (26)0105 देखें। अचछे कारण का अथर है, जागरुकता, सावधानी और बचाव और विशेष परिस्थितियों के तहत एक उचित और विवेकपूर्ण वयिकत द्वारा अपेक्षित अचछे निणरय का उपाय। 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(21)।

यह पूवरगामी लिखित नोटिस से स्पष्ट है कि नियोक्ता को सभी गवाही और अनय साक्ष्यों को साक्ष्य सुनवाई में परसतुत करने के दायितव से स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था। रिकार्डों में इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि नियोक्ता को सभी साक्ष्य या दसतावेजी परमाण

करने से या 04 NCAC 24C .0207 के अनुसार सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने की पराथरना करने से रोका गया । रिकार्डों में इस बात के भी कोई संकेत नहीं हैं कि नियोक्ता 04 NCAC 24C .0207

के अनुसार को सभी गवाही या दसतावेजी या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परसतुत करने से या सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने की पराथरना करने से रोका गया।

जब रिकार्डों में कोई ऐसा सबूत होता है, जो भौतिक मुद्दे पर निष्कर्ष का समर्थन करता है, तो बोर्ड किसी नियोक्ता को यह साबित करने के लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकता कि दावेदार को बेरोजगारी बीमा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसा करने से दावेदार के उचित

परकिरया के अधिकार का उल्लंघन होता है, और नियोक्ता को यह साबित करने के लिए अतिरिक्त अवसर परापत होता है कि दावेदार को बेरोजगारी बीमा परापत करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। Dunlap बनाम Clarke Checks, Inc., 92 N.C. App. 581, 375 S.E.2d 171 (1989)। इसलिए बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि नियोक्ता को उचित

परकिरयातमक परकिरया की पूर्ति की गई है। बोर्ड को इस मामले को केवल इसलिए दोबारा नहीं खोलना चाहिए कि (दावेदार) (नियोक्ता) ने गवाही या साक्ष्यों को परसतुत करने के अधिकार को संरक्षित नहीं किया था, या 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(26) में परिभाषित के अनुसार सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने के लिए “अच्छा कारण” दिखाया है। “अच्छा कारण”

यथोचित परिशरम के अभ्यास में कानूनी रूप से आवश्यक कार्य को करने में विफल रहने के लिए पर्याप्त रूप से उचित कानूनी कारण होना चाहिए। Douglas बनाम J.C. Penney Co., 67 N.C. App. 344, 313 S.E.2d 176 (1984) भी देखें। इस उदाहरण में बोर्ड केवल सुनवाई में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के लिए प्रतिबंधित है। Patrick बनाम Cone Mills Corp., 64 N.C. App. 722, 38 S.E.2d 476 (1983).

दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने से अयोग्य साबित करने के लिए साक्ष्य के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग उपलब्ध कराने वाले पक्ष के तौर पर, नियोक्ता को साक्ष्य की प्रथम दृष्टया उपयोगिता साबित करने का भार भी वहन करना होगा। नियोक्ता के साक्षी(यों) ने रिकार्डिंग की सामग्री का वर्णन किया। रिकार्डिंग की सामग्री के विषय में गवाह की गवाही, जिसे नियोक्ता ने अपने साक्ष्य को साबित करने के लिए भरोसा किया था, दावेदार के आचरण या रिकार्डिंग की सामग्री को दिखाने के लिए “सर्वोत्तम सबूत” नहीं है, और इसका प्रयोग प्राप्त

तथ्य के समर्थन के लिए तब तक उपयोग नहीं किए जा सकते, जब-तक ये सुबूत सक्षम न हो।
N.C. Gen. Stat. § 96-15(i)।

N.C. Gen. Stat. § 8C-1, Rules 1001। N.C. Gen. Stat. § 8C-1, नियम 1002 और 1003, या “सर्वोत्तम साक्ष्य नियम” के नाम से जाने जाने वाले नियम में लेखन, रिकार्डिंग या तस्वीर की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए इसकी मूल प्रति या प्रमाणित डुप्लीकेट की आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में सर्वोत्तम साक्ष्य नियम की आवश्यकता है रिकार्डिंग के द्वितीयक साक्ष्य को उस स्थिति में बाहर रखे, जब रिकार्डिंग की मूल प्रति पार्टी द्वारा प्राप्त करने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मौजूद थे या हैं। यदि दावेदार रिकार्डिंग की सामग्री के बारे में यह प्रमाणित कर देता है कि यह नियोक्ता के प्रत्यक्षदर्शी(यों) द्वारा दी गई गवाही के अनुसार ही है, तो नियोक्ता को रिकार्डिंग उत्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। N.C. Gen. Stat. § 8C-1, Rule 1007 देखें। हालांकि, इस मामले में दावेदार ने नियोक्ता द्वारा दावा की गई दोनों ही घटनाओं को अस्वीकार कर दिया गया, और रिकार्डिंग घटना के बारे में नियोक्ता के विचार को दिखाएगा, यदि नियोक्ता इसकी सामग्री को सिद्ध कर सके तो रिकार्डिंग का उत्पादन अनिवार्य है। इस मामले में, दावेदार सहित क्या घटित हुआ, देखने के लिए रिकार्डिंग में देखे व सुने गए के बारे में केवल गवाह(हों) की गवाही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं रिकार्डिंग आवश्यक है।

इस मामले में बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि नियोक्ता को प्रक्रियात्मक प्रक्रिया की पूर्ति की गई थी, और मामले को सिर्फ इसलिए नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि नियोक्ता ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित नहीं किया था। Douglas v. J.C. Penney Co., 67 N.C. App. 344, 313 S.E.2d 176 (1984) देखें। हालांकि आवश्यकताओं को नोटिस पर रखा गया था, नियोक्ता दावेदार को रोजगार से अलग करने की परिस्थितियों के संबंध में नोटिस के सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। बोर्ड ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि अपीलीय निर्णायकों ने प्राप्त तथ्यों पर रोजगार सुरक्षा कानूनों(N.C. Gen.Stat. §96-1 et seq.) को यथार्थ व सही रूप से लागू किया गया है, जैसा कि पाया गया है, और परिणामस्वरूप निर्णय कानून व तथ्यों के अनुसार था। जैसा कि, नियोक्ता यह साबित करने के भार को वहन करने में असमर्थ रहा था किए दावेदार को कदाचार के लिए हटाया गया था और N.C. Gen. Stat. § 96-14.6 के अर्थ के अनुसार लाभ प्राप्त करने से वंचित होना चाहिए।

Higher Authority Decision No.
पांच पृष्ठों में से चार

अपीलीय निर्णायक का निर्णय (पुष्ट किया गया) (विपरीत) (संशोधित) है।

दावेदार को बेरोजगारी बीमा के लाभों के प्रारंभ के लिए अयोग्य घोषित किया गया। अयोग्य
नहीं घोषित किया गया

और

बेरोजगारी बीमा के लाभों

का प्रारंभ प्राप्त होगा।

समीक्षा समिति के सदस्य Susan Doe और John Doe ने इस अपील में भाग लिया और
इस फैसले से सहमत हैं।

यह है:

BOARD OF REVIEW

.....

Chairman

NOTE: उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय में इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए निम्नानुसार याचिका दाखिल नहीं की गई हो। मेलिंग की तिथि इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर दी गई है। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता है, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय पर अपील करने के लिए संलग्न पुस्तिका देखें। यह पुस्तिका पूरे राज्य में सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों और

रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट WWW.des.nc.gov पर जाकर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) के अनुभाग पर जा सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं।

APPEAL RIGHTS FOR JUDICIAL REVIEW

अपीलकर्ता द्वारा उच्च प्राधिकरण के इस निर्णय के खिलाफ अपील अपने निवास स्थान या अपने मुख्य व्यापार स्थल के क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज की जानी चाहिए। यदि पार्टी North Carolina के किसी प्रांत में निवास नहीं करती या इसका मुख्य व्यापार स्थल यहां के किसी प्रांत में नहीं है, तो अपील North Carolina के Wake County के उच्चतम न्यायालय के लिपिक या उत्तरी कैरोलीना के उस क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज करवायी जाएगी, जहां विवाद उत्पन्न हुआ था।

उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका दाखिल नहीं की गई हो।

उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज किसी भी याचिका की प्रतियां रोजगार सुरक्षा ("Division") के विभाग और सभी पक्षों के पास याचिका दाखिल होने के (10) दिनों के भीतर कार्यवाही के लिए भेज दी जानी चाहिए। याचिका की प्रतियां व्यक्तिगत सेवाओं या मेल के जरिए भेजी जानी चाहिए, और वापसी रसीद प्राप्त किए जाने की प्रार्थना की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के लिए आवेदित याचिकाओं को विभागीय प्रक्रियाओं के लिए पंजीकृत एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए।

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903

Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

NOTE: यदि आपको किसी अन्य पार्टी द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका भेजी गई है, तो आप न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के लिए तब तक एक पक्ष नहीं होंगे जब तक कि आप :
(1) याचिका पराप्त होने के (10) दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय को सूचित नहीं कर देते कि

IMPORTANT - SEE FOLLOWING PAGE

आप कायरवाही के लिए एक पक्ष बनना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, के नियम 24, में उपलब्धता के अनुसार हसतक्षेप के लिए एक परसताव दजर करें।

NOTICE TO ALL INTERESTED PARTIES

04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) (एक नियोकता के बे रोजगारी बीमा परशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय-पक्ष की कंमनी से वयिकतयों को शामिल करते हुए) भंपरिभाषित एक कानूनी परतिनिधि लाइसेंस परापत वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस परापत वकील के अंतरगत कायर करने वाला एक वयिकत होना चाहिए।
नयायिक कायरवाही के कानूनी परतिनिधितव को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का अनुपालन करना चाहिए।

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार जब पक्ष का एक कानूनी परतिनिधि होता है, तो पक्ष को परदान किए जाने वाले सभी कानून जानकारी या दसतावेज केवल कानूनी परतिनिधि को भेजे जाएंगे। कानूनी परतिनिधि को भेजी गई कोई भी जानकारी उसी बल और परभाव में मानी जाएगी, जैसे कि उसे सीधे पार्टी को भेजा गया हो।

30, जून 2013 या उसके बाद दजर किए गए दावों के लिए दावेदार अपील पर वापस ले लिए गए किसी नयायिक निणरय से परापत लाभों के पुनभुरगतान के अधीन हैं। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

SPECIAL NOTICE TO CLAIMANTS: यदि आप अंतरनिहित दावों के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा के लाभ परापत कर रहे हैं या पहले से परापत कर चुके हैं और इस उचच पराधिकरण निणरय के नियमानुसार आप इस तरह के सभी लाभों के लिए अयोगय पाए जाते हैं, या इन नियमों को पूरा नहीं करते, आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभों का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि उचच पराधिकरण निणरय से अधिक भुगतान तैयार होने पर आपको विभाग के लाभ समगरता/ लाभ भुगतान नियंतरण अनुभाग से अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निधाररण का एक नोटिस अलग से भेज दिया जाएगा। यह नोटिस आपके ऊपर अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के अतिरिक्त आप पर लागू होने वाले अनय किसी दंड का भी निधाररण करेगी। कृपया धयान दें कि उपरोक्त भुगतान के खिलाफ आप एक ही रासता चुन सकते हैं, जो उचच पराधिकरण निणरय की नयायिक समीक्षा के लिए North Carolina के कानूनों और ऊपर दिए गए तरीके के अनुसार एक याचिका दायर करनी है। अपनी याचिका में आपको यह निदिशरना होगा कि क्या आप अपील कर रहे हैं: (1) अयोगयता या पातरता के लिए और/या (2) इस परिणामी निधाररण के लिए कि आपको लाभों का अधिक भुगतान परापत हुआ है।